"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 280-अ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 8 नवम्बर 2005—कार्तिक 17, शक 1927

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2005

क्रमांक /डी-7699/25-2/आजाकवि/2005.— छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी नियम-2002 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुब्रत साहू, विशेष सचिव.

छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी नियम-2002

भारत के राजपत्र, नई दिल्ली बुधवार 12 जून 2002 में प्रकाशित हज कमेटी एक्ट 2002 में दर्शाये गये प्रावधानों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के अभिप्राय से एवं तदानुसार राज्य हज कमेटी के संचालन एवं नियंत्रण हेतु निम्न नियम बनाना आवश्यक है. अतः राज्य सरकार, केन्द्रीय शासन की सलाह (परामर्श) से "हज समिति अधिनियम 2002" की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ एवं विस्तार.

1. (1) यह नियम छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति नियम 2002 कहलायेगा.

(2) यह नियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक से प्रवृत्त होगा.

(3) इस नियम का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

परिभाषाएं.

2. इन नियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से केन्द्रीय शासन द्वारा जारी हज समिति अधिनियम 2002 अभिप्रेत है.

(ख) "नियम" से राज्य शासन द्वारा जारी यह नियम छ. ग. राज्य हज कमेटी नियम अभिप्रेत है.

(ग) "अध्यक्ष" से राज्य हज समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है.

(घ) "हज समिति" से हज एक्ट 2002 की हज समिति अधिनियम की धारा 17 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति अभिप्रेत है.

(ङ) "धारा" से अधिनियम एवं नियम की धारा अभिप्रेत है.

(च) "हज यात्री" से मुस्लिम समुदाय के सउदी अरब के मक्का मदीना के लिये "हज" कार्य के लिये यात्रा करने वाले यात्रियों से अभिप्रेत है.

(छ) इन नियम में प्रयुक्त शब्दों और पदों के जो परिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है.

समिति का मुख्यालय.

3. समिति का मुख्यालय रायपुर (छ.ग.) में होगा.

भाग - 1

हज समिति के सदस्यों का नाम निर्देशन या निर्वाचन

समिति का गठन एक्ट की धारा 17.

4. राज्य शासन, हज समिति का गठन करने हेतु अधिनियम (एक्ट) की धारा 17 (2) के उपबन्धों के अनुसार राज्य हज कमेटी का गठन करेगी.

समिति के सदस्यों का नाम निर्देशन या निर्वाचन की रीति एवं कार्यकाल एक्ट की धारा 18.

5. (1) राज्य शासन हज समिति के सदस्यों का उपापन करने या नाम निर्देशन करने हेतु अधिनियम की धारा 18 के उपबन्धों के अनुसार सदस्यों का चयन एवं नामांकित करने हेतु उत्तरदायी रहेगी.

(2) हज समिति में अधिनियम की धारा 18 के उपबन्धों अनुसार कुल 16 सदस्य नामांकित किये जा सकेंगे जो निम्नानुसार रहेंगे :-

1. तीन (3) सदस्य (मुस्लिम सदस्यों में से) :-

(क) राज्य के लोक सभा या राज्य सभा सदस्य

(ख) राज्य विधान सभा का सदस्य

(ग) राज्य विधान परिषद् का सदस्य

2. तीन (3) सदस्य (मुस्लिम सदस्यों में से) :-

राज्य के स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका) के मुस्लिम सदस्यों में से.

3. तीन (3) सदस्य (मुस्लिम समुदाय से) :-

जो मुस्लिम धर्मज्ञान व मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ हो, इन सदस्यों में एक सदस्य शिया मुस्लिम समुदाय से आवश्यक है.

4. पांच (5) मुस्लिम सदस्य :-

ऐसे मुस्लिम स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधियों से जो सार्वजनिक प्रशासकीय, वित्तीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हो.

5. एक (1) सदस्य-राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन (पदेन सदस्य)

6. एक (1) सदस्य राज्य हज कमेटी का कार्यपालन अधिकारी/सचिव (पदेन सदस्य).

(3) यदि ऊपर दशाई गई धारा 5-2 का (1, 2) में मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं है, या जहां विधान परिषद् कार्यरत नहीं है तो जैसा उस धारा में उल्लेखित/निर्देशानुसार नामांकन किया जावेगा.

(4) राज्य सरकार, हज कमेटी के सदस्यों का नाम निर्दिष्ट/चयन पश्चात् सदस्यों का नाम राजपत्र में प्रकाशित करेंगी. समिति एवं सदस्यों की अधिसूचना व प्रकाशन एक्ट की धारा 19.

(5) हज समिति के सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से तीन वर्ष का रहेगा. (पदेन सदस्य, धारा 5-2 (5) एवं 5-2 (6) के सदस्यों को छोड़कर).

6. (1) राज्य शासन, राजपत्र में सदस्यों के नाम प्रकाशित होने के 45 (पैंतालिस) दिवस के अंदर पहली सभा (बैठक) आयोजित करेगी. जिसमें इन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव किया जावेगा. चेयरमेन (अध्यक्ष) का चुनाव व कार्यकाल एक्ट की धारा 21.

धारा 5-2 (5) एवं 5-2 (6) (पदेन सदस्य) के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के चुनाव में भाग नहीं लिया जा सकेगा.

(2) यदि समिति अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिती में राज्य शासन नियम 6-1 के अनुसार सदस्यों की (प्रकाशित सूची में से) समिति के सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष नामांकित कर सकेगी.

(3) समिति के अध्यक्ष के चुनाव/नामांकन के तुरंत पश्चात् राज्य शासन अध्यक्ष का नाम राजपत्र में प्रकाशित करायेगी.

(4) समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा तथा कोई भी व्यक्ति हज समिति के दो बार के कार्यकाल के अधिक बार अध्यक्ष नहीं हो सकेगा.

(5) किसी कारणवश अध्यक्ष पद रिक्त होने पर इस धारा 6 (1 एवं 2) में दर्शाये उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष का पद भरा जा सकेंगा.

7. राज्य शासन, राज्य हज समिति का कार्यकाल समाप्ति के चार माह पूर्व नई राज्य हज समिति के गठन की कार्यवाही करेगी.

8. राज्य शासन द्वारा समिति के अध्यक्ष/सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकेगा या समिति के अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जा सकेगा यदि वह :- अध्यक्ष एवं सदस्यों को अयोग्य घोषित करना एक्ट की धारा 23.

(1) भारत का नागरिक न हो और यदि वह छत्तीसगढ़ राज्य में निवास न करता हो.

(2) यदि वह मुस्लिम समुदाय का न हो (कार्यपालन अधिकारी/सचिव को छोड़कर)

(3) यदि व 25 वर्ष की उम्र से कम हो, या जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा दिमागी तौर पर दोषपूर्ण माना गया हो.

(4) दिवालिया हो या अपराधी प्रवृत्ति का हो, या शासन की राय में उसका व्यवहार दुष्टता, नीचतापूर्ण हो.

(5) यदि वह अपने किसी कार्यालय से निकाला गया हो या किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से निकाला गया हो.

(6) यदि वह भ्रष्टाचारी या बेईमान या हज यात्री के प्रति या हज यात्रियों के हितों के प्रति रुचि न रखता हो.

अध्यक्ष/सदस्यों का अलग/हटाया जाना एक्ट की धारा 25.

9. राज्य शासन राजपत्र में सूचना प्रकाशित कर उक्त दिनांक से समिति के अध्यक्ष/सदस्य को समिति से अलग या हटा सकेगी यदि :-

(1) यदि वह इस नियम की धारा 8 के तहत अयोग्य हो.

(2) यदि राज्य शासन की राय में वह कार्य करने हेतु इच्छुक न हो, या असक्षम हो. ऐसी स्थिति में यदि राज्य शासन चाहे तो सुनवाई पश्चात् बिना दुर्भावना से राज्य हज समिति या हज यात्री के हित में निर्णय ले सकती है.

(3) यदि राज्य शासन की राय में बिना युक्तियुक्त कारण बताये लगातार समिति की तीन बैठकों में सम्मिलित नहीं होता है.

(4) यदि अध्यक्ष को अलग किया या हटाया जाता है तो उसकी समिति की सदस्यता भी समाप्त मानी जाकर उसका सदस्यता पद भी रिक्त माना जावेगा.

(5) यदि पद का त्याग करता है.

सामयिक रिक्त पद को भरना एक्ट की धारा 26.

10. कोई सदस्य को हटाने/अलग किये जाने के कारण, त्यागपत्र के कारण, मृत्यु होने पर वह पद रिक्त होता है, तो नये सदस्य का उसके स्थान पर नामांकन किया जा सकेगा. ऐसे सदस्य की कार्यावधि उतनी ही रहेगी जितनी रिक्त हुये पद के सदस्य की थी. ऐसे सामयिक रिक्त स्थान को भरने के लिये इस नियम की धारा 5 के उपबन्धों अनुसार जिस श्रेणी का पूर्व सदस्य का स्थान रिक्त हुआ है, उसी श्रेणी अनुसार नया नामांकन किया जा सकेगा.

हज कमेटी व सदस्यों का कर्तव्य एक्ट की धारा 27.

11. (1) हज कमेटी एवं उनके सदस्यों का यह कर्त्तव्य रहेगा कि वे हज यात्रियों के हितों के प्रति निर्धारित नीतियों एवं दर्शाये गये निर्देशों का सही रूप से पालन करें और उसका क्रियान्वयन करें.

(2) राज्य हज समिति, हज यात्रियों को उनके हितों को ध्यान में रख हज यात्रा संबंधी सभी सुविधायें उपलब्ध करायेगी जैसे :- केन्द्रीय हज कमेटी के निर्देशानुसार हज आवेदन फार्म उपलब्ध कराना, आवेदित हज फार्म इच्छुक यात्रियों से प्राप्त कर पंजीयन करना, आवेदन फार्म केन्द्रीय हज समिति को प्रस्तुत कर मंजूरी प्राप्त करना, हज यात्रा की रकम बाबत् आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना, हज यात्रियों को प्रशिक्षित करना, हज यात्रियों के टीकाकरण कार्य में आवश्यक सहयोग करना, तथा आवास व्यवस्था आदि.

(3) हज कमेटी हज यात्रियों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध करायेगी. उनके गृह राज्य से, भारत से रवानगी स्थान (इम्बारकेशन प्वाइंट) तक आवागमन के लिये सहायता उपलब्ध करायेगी, तथा आवश्यक हो तो परिवहन व्यवस्था भी उपलब्ध करायेगी.

(4) राज्य हज कमेटी हर ऐसे कार्य को करने हेतु कर्तव्यपरायण रहेगी जो हज कार्य से संबंधित हो, एवं ऐसे अन्य कार्य जिसे करने के लिये राज्य शासन द्वारा या केन्द्रीय सरकार के परामर्श से निर्धारित किया गया हो.

12. (1) हज समिति की बैठक वर्ष में कम से कम 3 (तीन) बार बुलाना आवश्यक होगा. हज सीजन शुरू होने के पूर्व हज यात्रा की तैयारी हेतु दो बार एवं हज यात्रा की समाप्ति पर हज यात्रा बावत् की गई व्यवस्थाओं एवं की गई कार्यवाही पर पुनर्विलोकन (समीक्षा) हेतु एक बार अवश्य बुलाई जावेगी.

हज कमेटी की सभा/बैठक एक्ट की धारा 28.

(2) किसी भी बैठक के लिये समिति/कमेटी के सदस्यों की संख्या कोरम मान से कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई होना चाहिये.

(3) इस धारा की उपधारा (1) में दर्शाये समिति की बैठक के अलावा यदि और कोई बैठक आयोजित करना आवश्यक हो तो समिति के कुल सदस्य के एक तिहाई सदस्यों की लिखित सूचना पर या समिति अध्यक्ष यदि आवश्यक समझे तो वह समिति की और भी बैठक आयोजित कर सकेगा.

(4) समिति की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी समिति के कार्यपालन अधिकारी/सचिव की होगी.

(5) बैठक में सभी मसलें बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से हल किये जावेंगे. यदि किसी मसलें पर सदस्यों के वोट पक्ष, विपक्ष में बराबर हो तो बैठक में उपस्थित समिति का अध्यक्ष या जो बैठक का अध्यक्ष तत्समय में होगा, उसका मत निर्णायक होगा.

13. (1) राज्य सरकार अपने अधिकरियों में से एक को हज कमेटी का कार्यपालन अधिकारी/सचिव नियुक्त करेगी. लेकिन यह अधिकारी राज्य शासन के उप सचिव से कम पद (स्तर) का न हो. इस पद पर नियुक्ति के लिये मुस्लिम अधिकारी को प्राथमिकता दी जावे.

कमेटी के कार्यपालन अधिकारी/सचिव और कर्मचारी एक्ट की धारा 29.

(2) कार्यकारी अधिकारी हज कमेटी में सचिव का भी कार्य करेगा.

(3) समिति का कार्यपालन अधिकारी/सचिव, हज कमेटी द्वारा निर्धारित प्रत्येक कार्य, निर्णय का क्रियान्वयन करेगा तथा हज कमेटी के अन्य कार्य जो निर्धारित हो उसे करेगा.

यदि किसी मसले पर हज समिति एवं कार्यपालन अधिकारी/सचिव का मत भिन्न हो तो ऐसे मसलों को राज्य शासन के समक्ष रखा जावेगा, तथा राज्य शासन का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

(4) हज अधिनियम 2002 एवं इस नियम का पालन कराने एवं अपने कार्यों के सुचारू रूप से संपादन हेतु राज्य हज कमेटी, समिति द्वारा स्वीकृत पदों के अनुरूप अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति अस्थाई तौर पर कर सकेगी.

(5) समिति/कमेटी/के कार्यालय के कार्य अवधि, नियम एवं समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों के नियम व शर्तें जो (राज्य शासन के अनुरूप) समिति द्वारा निर्धारित किये जावेगे वह मान्य होंगे.

भाग - 2
अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य और उसके कार्यकाल से संबंधित अन्य विषय

14. (1) धारा 6 के अधीन अध्यक्ष के निर्वाचन या नियुक्ति के पश्चात् समिति का अधिवेशन या बैठक उस दिन, उस स्थान व उस समय पर आयोजित किया जावेगा जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाये.

समिति का अधिवेशन बुलाना.

(2) 1. यदि किसी कारण से ऐसा अधिवेशन/बैठक उपनियम (1) के अधीन नियत दिवस को आयोजित नहीं किया जाता, तो वह किसी ऐसे अन्य दिन आयोजित किया जावेगा, जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाये.

2. तत्पश्चात् समिति का अधिवेशन इस नियम की धारा 12 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन तब आयोजित किया जाएगा जब समिति के अध्यक्ष द्वारा हज के लिये इन्तजाम करने या समिति द्वारा किये गये इन्तेजामों का पुनर्विलोकन के लिये आवश्यक समझा जाये.

परन्तु अध्यक्ष जब भी उचित समझे समिति का कोई विशेष अधिवेशन उसके द्वारा नियत किसी दिवस को बुला सकेगा या वह समिति के एक तिहाई से अन्यून सदस्यों की लिखित अध्यपेक्षा पर कोई असाधारण अधिवेशन ऐसी अध्यपेक्षा के कम से कम चार दिन के पश्चात् किसी तारीख को बुला सकेगा.

3. यदि समिति के अधिवेशन के दौरान किसी समय अध्यक्ष के ध्यान में यह लाया जाता है कि, उपस्थित सदस्यों की संख्या धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन गणपूर्ती के लिये अपेक्षित संख्या से कम है, तो अध्यक्ष अधिवेशन को किसी अन्य दिवस को ऐसे समय और स्थान पर होने के लिये आस्थगित कर सकेगा. जिसे वह ठीक समझे.

अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य.

15. (1) अध्यक्ष किसी प्रस्ताव की सूचना से ऐसे किसी मामले का, जिसे वह अपमानलेखिय या पूर्णतः सन्तापकारी होना समझता है, लोप करने के लिये स्वतंत्र होगा और यदि वह उचित समझता है, तो उक्त आधारों पर पूर्णतः किसी प्रस्ताव को अननुज्ञात कर सकेगा. अध्यक्ष किसी ऐसे मामले में जो उसकी राय में अपमानलेखिय या पूर्णतः सन्तापकारी है, अधिवेशन की कार्यवाहियों से, कार्यवृत से लोप किये जाने के निर्देश दे सकेगा.

(2) अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को अननुज्ञात कर सकेगा जो :-

(क) किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव को जहां सदस्य या उसके भागीदार या कोई अन्य सहयोगी प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हज यात्रा से संबंधित किसी कारोबार के प्रबंध या निर्देश में हितबद्ध है, या उनमें से कोई ऐसे कारोबार में लगे किसी व्यक्ति की ओर से वृत्तिक रूप से हितबद्ध है.

(ख) कोई प्रस्ताव जिसमें कोई विवरण अंतर्विष्ट है, जिसकी परिशुद्धता प्रस्ताव के समावेदक द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती है.

(3) (क) अध्यक्ष संक्षिप्तया आदेश या प्रक्रिया के सभी बिन्दुओं को विनिश्चित करेगा, किन्तु उसके विनिश्चय का पुनर्विलोकन समिति के पश्चात्वर्ती अधिवेशन में अनुज्ञेय होगा.

(ख) ऐसे पुनर्विलोकन के लिये प्रस्ताव, ऐसे विनिश्चय को सीधे चुनौती देने वाले किसी सारवान प्रस्ताव के रूप में समिति को भेजा जावेगा और ऐसे प्रस्ताव की सूचना अधिवेशन की तारीख नियत करने के कम से कम तीन दिवस पूर्व दी जावेगी.

(4) अध्यक्ष अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की सहमति से किसी सदस्य के किसी प्रस्ताव को जो अधिवेशन की कार्यसूची में वर्णित नहीं है, पुनःस्थापित करने के लिये अनुज्ञात कर सकेगा.

(5) अध्यक्ष केन्द्रीय या राज्य शासन के किसी अधिकारी को या अन्य कोई निजी क्षेत्र के व्यक्ति को जो हज के क्रियाकलापों के जानकार या संबंधित हो उसे "विशेष आमंत्रिती" के रूप में समिति के किसी अधिवेशन के लिये आमंत्रित कर सकेगा और ऐसे किसी व्यक्ति को अधिवेशन में विचार विमर्श में भाग लेने के लिये अनुज्ञात किया जा सकेगा.

अध्यक्ष/सदस्यों का त्याग पत्र एक्ट की धारा 24.

16. समिति का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य राज्य सरकार को अपने हस्ताक्षर से लिखित में सूचना देकर अपना पद त्याग कर सकेगा. और त्यागपत्र ऐसी सूचना की तारीख से प्रभावी होगा.

17. समिति का अध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य इस नियम की धारा 9 के उपबन्धों कें अनुसार पद से हटाया जा सकेगा. अध्यक्ष/सदस्यों को हटाया जाना.

18. (1) अध्यक्ष के पद पर कोई आकस्मिक रिक्ती धारा 6 के उपबन्धों के अनुसार भरी जावेगी. अध्यक्ष के पद पर किसी आकस्मिक रिक्ती का भरा जाना.

(2) कोई व्यक्ति जिससे ऐसे आकस्मिक रिक्ती भरी जाती है, केवल तब तक उस पद पर बना रहेगा जब तक वह अध्यक्ष/सदस्य जिसके स्थान पर उसे निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, पद धारण करता यदि ऐसी रिक्ती न हुई होती.

19. (1) समिति का अध्यक्ष/सदस्य (पदेन सदस्यों से भिन्न) समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये और दौरा करने के लिये चाहे वह राज्य में या राज्य के बाहर, उन दरों पर यात्रा भत्ता और निवास भत्ता, दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये हो. अध्यक्ष/सदस्यों को देय भत्ते एवं निबंधन.

परन्तु संसद सदस्य, राज्य विधान मंडलों के ऐसे सदस्य जो समिति के सदस्य हैं, उन दरों पर पूर्वोक्त भत्ते के हकदार होंगे जो क्रमशः उन्हें यथास्थिति, लोकसभा, राज्यसभा या राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् के नियमों के अधीन अनुज्ञेय है.

समिति के अध्यक्ष/सदस्य के विदेश यात्रा पर भी वे उपरोक्तानुसार यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं निवास भत्ता के हकदार होंगे परन्तु प्रस्तावित विदेश यात्रा राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अग्रिम रूप में अनुमोदित हो.

(2) समिति के पदेन सदस्य अपनी पंक्ति के समूह के अधिकारियों को स्वीकृत अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता, निवास भत्ता एवं दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे.

भाग - 3

समिति के कार्यपालिक अधिकारी/सचिव और कर्मचारियों के निबंधन और शर्तें

एक्ट की धारा 29.

20. धारा 13 के अधीन राज्य शासन द्वारा नियुक्त कार्यपालन अधिकारी/सचिव, हज समिति कार्यालय का प्रमुख रहेगा तथा कार्यों को नियंत्रित करेगा. तथा समिति के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा और अपने दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निष्पादन में ऐसे विनिश्चय से संबंधित निर्देशों को लागू करेगा. कार्यपालिक अधिकारी/सचिव के कृत्य.

21. (1) धारा 13 के अधीन नियुक्त समिति के सभी अधिकारी और कर्मचारी, कार्यपालन अधिकारी/सचिव के प्रति उत्तरदायी होंगे और उनके अनुदेशों के अनुसार कृत्य करेंगे. समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के कृत्य.

(2) कार्यपालन अधिकारी/सचिव समिति के उक्त सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्यों के लिये सीधे उत्तरदायी होगा.

22. (1) इस नियम धारा 13 (1) के अधीन नियुक्त समिति के कार्यपालन अधिकारी/सचिव तथा धारा 22 (2) के अध्यधीन नियुक्त समिति के अन्य अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति सामान्यतः अस्थाई आधार पर की जावेगी. कार्यपालन अधिकारी व अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तें.

(2) कार्यपालन अधिकारी/सचिव, आवश्यक कार्यों के निष्पादन हेतु समिति द्वारा स्वीकृत पदों पर अस्थाई तौर पर अधिकारियों व कर्मचारियों, की नियुक्ति कर सकेगा. तथा उस तारीख से जिसे राज्य शासन नियत करें समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों के पद स्थायी किये जा सकेंगे. और तदुपरी राज्य सरकार ऐसे पदों के प्रति समिति के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों जो नियुक्त किये जाने वाले पद की अर्हताएं पूरी करते हों, (योग्य हो तो) की नियुक्ति कर सकेगी जो समिति में पहले से कार्यरत हो.

(3) हज सीजन (हज के समय) में कार्य की अधिकता पर समिति का कार्यपालन अधिकारी/सचिव आवश्यकतानुसार अस्थाई तौर पर समिति की पूर्व अनुमति लेकर कर्मचारियों (दैनिक भोगी रोजी पर) को कार्य पर कार्य की अधिकता अवधि की समाप्ति तक रख सकेगा.

(4) (क) समिति में प्रति नियुक्ति के आधार पर नियुक्त किये गये कार्यपालन अधिकारी और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों की सेवा किसी भी समय, किसी भी पक्ष द्वारा प्रतिनियुक्ति पर, ऐसी नियुक्ति को शासित करने वाले नियम के अनुसार सूचना देकर पर्यवेक्षय होगी.

(ख) समिति के उन अधिकारी, कर्मचारियों की सेवायें उनसे भिन्न जो उपरोक्त खण्ड (क) में निर्दिष्ट है किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी समय ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति शासित करने वाले नियमों के अनुसार सूचना देकर पर्यवेक्षय होगी.

परन्तु इस खण्ड के अधीन कोई सूचना समिति द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से दी जावेगी.

(5) समिति के अधिकारी कर्मचारी ऐसे वेतन भत्ते और अन्य परिलब्धियां जो समिति द्वारा राज्य शासन के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर नियत की जाये, प्राप्त करेगें.

(6) (क) अध्यक्ष या समिति का कार्यपालन अधिकारी, समिति के अन्य अधिकारी/कर्मचारियों की आकस्मिक छुट्टी तथा भिन्न छुट्टी मंजूर करेंगे.

(ख) अध्यक्ष, राज्य सरकार के अनुमोदन से खण्ड (क) के अधीन छुट्टी मंजूर किये जाने के कारण हुई आकस्मिक रिक्तियों को यदि आवश्यक हो तो समिति की बैठक में स्वीकृति पश्चात् भर सकेगा.

(घ) आकस्मिक छुट्टी एक समय में सामान्यतः 4 दिन तथा संपूर्ण वर्ष में 12 दिनों की मंजूरी दी जा सकेगी.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य एक्ट की धारा 29.

23. समिति का कार्यपालन अधिकारी समिति का सचिव होगा और वह निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगा :-

(1) राज्य हज कमेटी के कार्यालय का संचालन एवं नियंत्रण.

(2) समिति के अधिवेशनों का आयोजन तथा इसकी सूचना उसके सदस्यों को जारी करना, तथा अधिवेशनों के कार्यवृत्त अभिलिखित करना तथा लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन करना.

(3) केन्द्रीय हज कमेटी से प्राप्त पत्रों व निर्देशों का क्रियान्वयन करना.

(4) हज में जाने वाले इच्छुक हज यात्रियों को हज फार्म, आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना, तथा हज एक्ट 2002 में दिये गये हज यात्रियों के लिये आवश्यक सभी कार्य.

(5) सभी आवश्यक पत्राचार करना जिसमें :-

(क) समिति और हज यात्री के मध्य.

(ख) समिति व राज्य/केन्द्रीय सरकार के मध्य.

(ग) राज्य हज समिति और केन्द्रीय हज समिति के मध्य.

(घ) समिति व समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के मध्य.

(ङ) समिति व अन्य संबंधित के मध्य.

(6) समिति का कार्यपालन अधिकारी, इस नियम की धारा 13 के व उसके उपबन्धों के अध्यधीन कृत्य करेगा.

(7) समिति का कार्यपालन अधिकारी नियम 22 के उपनियम (5) के उपबन्धों को लागू करने के लिये समय-समय पर निम्न को देते हुये अनुसूचियां बनायेगा और समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा :-

(क) समिति के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का रखा जाने वाला पदनाम और श्रेणियां, उनकी भर्ती प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन भी है) और ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या जिन्हें उसकी राय में नियुक्त किया जाना चाहिये.

(ख) वेतन, फीस, और भत्ते जो उसकी राय में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को संदत्त किये जाने चाहिये.

(8) हज समिति, इस नियम 23 के उपनियम 6 में निर्दिष्ट अनुसूचियों को अनुमोदन कर सकेगी या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन उनके ऐसे उपांतरण जिन्हें वह ठीक समझे कर सकेगी.

24. (1) हज समिति, इस नियम 22 के उपनियम 1, 2 तथा नियम 23 के उपनियम 6 एवं 7 के उपबन्धों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार, उतने अधिकारी और कर्मचारियों को जिन्हें वह आवश्यक समझे नियुक्त कर सकेगी. समिति अपवाद स्वरूप यदि किसी अनुभवी व्यक्ति विशेष की सेवायें लेना समिति के हित में आवश्यक समझे तो भर्ती प्रक्रिया में शिथिलता कर ऐसा कर सकेगी. समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की निबंधन और शर्तें.

(2) समिति से संबंधित सभी स्थापना संबंधी विषय राज्य सरकार के मूल नियमों और अनुपूरक नियमों के आधार पर विनिश्चित किये जायेंगे.

(3) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी दरों पर ऐसे भत्ते के लिये जो राज्य सरकार में तत्स्थानी पंक्ति के कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, उनकी तैनाती के स्थान के आधार पर पात्र होंगे.

(4) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर समिति द्वारा मंजूर किये गये मानदेय, अभिदायी भविष्य निधि, उपदान, छुट्टी, यात्रा रियायत और किसी अन्य भत्ते के फायदे के लिये भी पात्र होंगे.

(5) समिति के कार्यालयों के कार्य के सामान्य समय व घंटे वही होंगे जो उस शहर के राज्य सरकार के कार्यालय के लिये है.

(6) हज समिति उसके कार्यालय द्वारा मनाये जाने वाले अवकाशों की सूची (अवकाश घोषित करने में मुस्लिम त्यौहारों को ध्यान में रखकर) घोषित कर सकेगी. वह साधारणतः राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यालयों के लिये घोषित किये गये अवकाशों को मना सकेगी.

भाग - 4

राज्य हज निधि

25. (1) अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुये अधिनियम (एक्ट) की धारा 32 एवं नियम की धारा 32 के अधीन जमा राशियां समिति द्वारा हज निधि में धारित, जमा की जावेगी. जिसे अधिनियम (एक्ट) की धारा 33 एवं इस नियम की धारा 33 में उल्लेखित प्रायोजनों के लिये व्यय और उपयोजित की जायेगी. एक्ट की धारा 32.

(2) समिति अधिनियम (एक्ट) की धारा 34 के उपनियम 1, 2 एवं 3 में तथा इस नियम में दर्शाये अनुसार कार्य करेगी. तदानुसार हज निधि का लेखा संबंधित अभिलेखों व अन्य आय, व्यय, आदि बाबत्

का सही व सुचारू रूप से संधारण किया जायेगा. वार्षिक लेखे तैयार करेगी, परीक्षण करायेगी तथा लेखा परीक्षण रिपोर्ट (आडिट रिपोर्ट) राज्य शासन को भेजेगी.

(3) ऐसी सभी राशि व धनीय संव्यवहार तत्काल व बिना अभिरक्षण के, गणना में लिये जायेंगे और समिति की बहियों में प्रविष्ट किये जायेंगे.

(4) चालू व्यय को पूरा करने के लिये बैंक से निकाली गयी रकम से भिन्न प्राप्त सभी रकम तत्काल या आगामी कार्य दिवस पर हज निधि में बैंक में पूर्णतः जमा/संदत्त की जायेगी.

(5) हज निधि समिति या राज्य सरकार जैसा निर्देश दे उस राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जावेगी.

(6) हज निधि को बैंक द्वारा कोई संदाय या निम्नलिखित रूप से हस्ताक्षरित किये गये चेक के सिवाय नहीं किया जायेगा :-

(क) समिति का कार्यपालन अधिकारी/सचिव.

(ख) यदि नियम 25, उपनियम 6 (क) में दिये गये अधिकारी रुग्णता (बीमार) या अनुपस्थिति की दशा में हज समिति द्वारा इस निमित्त एकल या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अन्य अधिकारी या समिति के अध्यक्ष या अन्य सदस्य.

परन्तु ऐसे किये गये संव्यवहार का पूर्ण ब्यौरा व बचत की राशि लिखित रूप से कार्यपालन अधिकारी/सचिव को उनके कार्य पर उपस्थिति के बाद तत्काल प्रस्तुत किये जावेंगे.

व्यय के बिल और उनके संदाय.

26. (1) समिति से संबंधित व्यय का प्रत्येक मद के लिये बिल (देयक) या रसीद प्राप्त किये जायेंगे, तथा संदाय या भुगतान के लिये प्रस्तुत किये गये बिल और अन्य कागजातों की जांच कार्यपालन अधिकारी/सचिव द्वारा की जायेगी, और वह बिल सही है, दावा अनुज्ञेय है, बिल में हस्ताक्षर व अन्य विवरण सही है, तथा भुगतान की जाने वाली राशि का प्राधिकार समुचित है, तो वह (कार्यपालन अधिकारी/सचिव) बिल पर संदाय/भुगतान का आदेश/हस्ताक्षर करेंगा.

(2) समिति का कार्यपालिक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बिल पूर्ण है और उसमें संदाय की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त जानकारी दी गई है. और यह कि भुगतान पाने वाला वस्तुतः वह धनराशि प्राप्त करता है जिसके लिये बिल पारित किया गया है. तथा भुगतान का विधिक रसीद/पावती प्राप्त की गई है.

राज्य हज निधि में शेष/बचत धनराशियों का विनिधान.

27. (1) समिति के आंकलन में यदि हज निधि में उपलब्ध/बचत राशि (जिसके अंतर्गत दान, अनुदान व संपत्ति की आय, व अन्य आय आदि है) समिति के संभावित व्यय एवं आवश्यकता से अधिक है तो नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये आवश्यकता से अधिक राशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में नियतकालिक निक्षेप (फिक्स डिपाजिट) के रूप में रख सकेगी या शासकीय प्रतिभूतियों में विनिधान कर सकेगीं. और ऐसे निक्षेप/प्रतिभूतियों में व्ययनीत कर सकेगी जैसा आवश्यक हो.

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी नियतकालिक निक्षेप से या किसी प्रतिभूति से पारिणामिक आय, राज्य हज निधि में जमा की जायेगी.

राज्य हज निधि का उपयोजन एक्ट की धारा 33.

28. राज्य हज निधि में जमा की गई धनराशि, अधिनियम में विर्निष्ट प्रायोजनों के लिये आवश्यक सभी राशियों, प्रभारों और लागतों के संदायों में उपयोजित की जायेगी. जिसके अंतर्गत निम्नलिखित संदाय भी है :-

(क) समिति के ऐसे कार्यपालन अधिकारी/सचिव, अधिकारी एवं कर्मचारी जिनके वेतन भत्ते राज्य शासन द्वारा (दिये जाते हों) वहन किये जाते हों, उन्हें छोड़कर समिति के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन व भत्ते. तथा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनकी सेवायें समिति के अनुरोध पर राज्य शासन द्वारा उसके व्ययन पर रखी जाती हो उसके वेतन व भत्ते.

(ख) इन नियमों के अधीन संदेय भविष्य निधि के संदाय, पेंशन, उपदान, छुट्टी और अनुकम्पा भत्ते.

(ग) समिति के सदस्यों का यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता जैसे नियम में निर्धारित हों.

(घ) समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों का यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता जो नियम में निर्धारित हो.

(ङ) हज समिति के भवनों का निर्माण एवं रखरखाव में हुये व्यय.

(च) इस नियम की धारा 11 में दर्शाये अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हुये खर्च का भुगतान कर सकेगी. हज यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु नियुक्त प्रशिक्षक एवं हज यात्रियों से संबंधित अन्य कार्यों के लिये संलग्न किये गये खिदमतगार को समिति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक व यात्रा व्यय का भुगतान भी कर सकेगी.

(छ) कोई अन्य राशि, जो समिति द्वारा विधिक रूप से संदेय हो.

29. (1) इस नियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति का कार्यपालन अधिकारी/सचिव, इन नियमों के अधीन यथा अधिकथित समिति के कर्तव्यों के अनुपालन के लिये आवश्यक कोई संविदा करने या व्यय उपगत करने के लिये सक्षम होगा. समिति द्वारा संविदाएं करना और व्यय उपगत करना.

(2) प्रत्येक संविदा या व्यय जो :-

(क) 3000/- (तीन हजार रुपये) से अधिक किन्तु रुपये 1,00,000/-(एक लाख रुपये) से अनाधिक मूल्य तक या रकम का है, उसके लिये समिति की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी.

परन्तु अध्यक्ष यदि ऐसा व्यय करना आवश्यक समझे तो वह ऐसी मंजूरी दे सकेगा, और समिति से कार्योत्तर अनुमोदन अभिप्राप्त कर सकेंगे.

(ख) 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) से अधिक मूल्य या रकम का है तो राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा.

(3) उपधारा (1) एक में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा लिखित रूप से की जायेगी और समिति की ओर से समिति का कार्यपालन अधिकारी/सचिव द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे. तथा अध्यक्ष या समिति द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जायेगें और उसे समिति की सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित किया जायेगा.

(4) 3000/- रुपये (तीन हजार रुपये) के कम राशि के लिये कार्यपालिक अधिकारी/सचिव इस नियमों व अन्य उपबन्धों के अधीन समिति के कार्यों व कर्तव्यों की आवश्यकता व अनुपालन के लिये व्यय उपगत करने में सक्षम होगा.

(5) (क) 500/- (पांच सौ रुपये) रुपये तक के बही मूल्य के किसी अनुपयोज्य स्टाक की कोई वस्तु अपलेखित करने, समिति का कार्यपालन अधिकारी/सचिव-सक्षम होगा. अपलेखित करना.

(ख) 500/- (पांच सौ रुपये) से अधिक तथा 10,000/- (दस हजार रुपये) तक के बही मूल्य के किसी वस्तु को अपलेखित करने के लिये समिति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी.

(ग) 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) के अधिक बही मूल्य के किसी अनुपयोगी या अनुपयोज्य स्टाक की कोई वस्तु को अपलेखित करने के लिये राज्य शासन की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त की जायेगी.

30. (1) (क) अध्यक्ष, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व तीन मास के भीतर आयोजित किये जाने वाले एक विशेष अधिवेशन में, समिति के समक्ष आगामी 1 अप्रैल को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये समिति के आय और व्यय का प्राक्कलन ऐसे ब्यौरे और प्रारूप में (जैसा कि समिति द्वारा समय-समय पर दिये निर्देशों के अनुरूप) रखेगा. समिति का बजट तैयार करना, प्रस्तुत करना और उसका अनुमोदन.

(ख) पूर्वोक्त प्राक्कलन तैयार कर मुद्रित किया जायेगा और उसकी प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या किसी कोरियर अभिकरण के माध्यम से समिति के प्रत्येक सदस्यों को उपनियम (क) में इस निमित्त आयोजित बैठक की तारीख से कम से कम दस स्पष्ट दिन पूर्व ऐसे प्रत्येक सदस्य द्वारा दिये गये अंतिम पते पर भेजी जायेगी.

(2) वर्ष के दौरान समिति के साधनों और उपायों तथा व्यय पर उपगत किये जाने वाले व्यय के वार्षिक और अनुपूरक प्राक्कलन तैयार करने में राज्य सरकार के वित्तीय नियमों में अधिकथित सिद्धांतों का अनुसरण किया जायेगा.

(3) समिति उपनियम (1) के अधीन उसे प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन पर विचार करेगी और ऐसे प्राक्कलन को या तो बिना परिवर्तित किये या ऐसे परिवर्तन के अधीन रहते हुये, जो वह ठीक समझे मंजूर करेगी.

(4) समिति द्वारा यथा मंजूर किये गये प्राक्कलन को राज्य सरकार को संबंधित विभाग के जरिये प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किये जायेंगे.

अनुपूरक प्राक्कलन.

(5) समिति उस वर्ष के जिसके लिये उपनियम (3) के अधीन प्राक्कलन मंजूर किया गया है, के दौरान आवश्यकता होने पर किसी समय अनुपूरक प्राक्कलन तैयार करा सकेगी. तथा ऐसे प्राक्कलन पर विचार किया जाकर मंजूर कर सकेगी और उसी रीति में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जावेगा मानो वह मूल वार्षिक प्राक्कलन हो.

(6) बजट प्राक्कलन में किसी मद को शामिल किया और मंजूर किया गया है. व्यय उपगत करने के प्रायोजन के लिये अपने आप में मंजूरी नहीं समझी जायेगी. जहां कहीं नियम 29 के अनुसार आवश्यक हो किसी व्यय के उपगत किये जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट मंजूरी अभिप्राप्त की जायेगी.

भाग - 5

अर्थव्यवस्था, खाता, लेखे एवं परीक्षण

हज कमेटी कोष एक्ट की कण्डिका 32 एवं 34.

31. (1) हज कमेटी का अपना एक संचित धन कोष रहेगा, जिसका सही व सुचारू रूप से लेखे संधारण करना होगा. आय व्यय तथा संबंधित सभी लेखे का वार्षिक रिपोर्ट आदि उसी तरह बनाया या संधारण किया जावेगा जिस तरह केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या इस नियम में जैसा उल्लेखित हो, संधारण किया जावेगा.

(2) हज कमेटी द्वारा संधारित लेखों की जांच एवं परीक्षणं प्रतिवर्ष ऐसे लेखा परीक्षक से कराई जावेगी जिसे ऐसे कार्य कराने के लिये राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त हो.

(3) हज कमेटी लेखों की लेखा परीक्षण रिपोर्ट को लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाकर वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगी.

(4) राज्य शासन यदि आवश्यक समझे तो हज कमेटी की वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट को विधान सभा पटल पर रख सकेगी.

(5) वार्षिक लेखा रिपोर्ट को हज समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जावेगा.

एक्ट की धारा 32.

32. आय :-

(1) हज कमेटी को प्राप्त हज आवेदकों का अनुदान.

(2) केन्द्रीय शासन, राज्य शासन या अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता अनुदान.

(3) पूंजी निवेश से आय जमा राशि आय या अन्य कोई आय.

(4) हज कमेटी के पास पूर्व जमा राशि जो इस नियम के पूर्व की है, उसे भी इसमें सम्मिलित कर आय कोष में माना जावेगा.

33. व्यय :- एक्ट की धारा 33.

राज्य हज कमेटी कोष में जो इस नियम के अंतर्गत आय होगी उसका नियंत्रण एवं व्यवस्थापन हज कमेटी करेगी तथा निम्न मदों में खर्च/भुगतान किया जा सकेगा :-

(1) राज्य हज कमेटी के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन व भत्ते आदि पर.

(2) कार्यालय व्यवस्थापन पर.

(3) हज कमेटी को अपने कर्तव्यों (जैसा धारा 11 में दर्शाया गया है) के निर्वहन या पूरा करने मद में हुये खर्च, देय राशि प्रासंगिक व आकस्मिक व्यय का भुगतान.

(4) अन्य कोई खर्च जिसे हज समिति या राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किया गया हो उसका भुगतान.

(5) कोई अनुदान या ऋण/उधार जो राज्य हज कमेटी को राज्य शासन या अन्य को भुगतान करना हो.

(6) अन्य कोई वैध भुगतान जो आवश्यक हो.

भाग - 6

विविध

34. (1) यदि राज्य सरकार की राय में समिति अधिनियम (एक्ट 2002) एवं नियम (रूल्स) के अधीन कार्य नहीं कर पा रही है, तथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का नियमानुसार निर्वहन न कर लगातार (Persistently) नियमों का उल्लंघन कर अपने कर्तव्यों से चूक (Default) कर रही है और सीमा से बाहर जाकर अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर रही है, तो राज्य सरकार ऐसा कारण बताते हुये राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से समिति का अधिक्रमण (Supersede) उस अवधि तक कर सकेगी जो अवधि ऐसे आदेश में दर्शाई गई है. समिति का अधिक्रमण (Supersession of Committee) एक्ट की धारा 36.

परन्तु ऐसे अधिक्रमण (Supersession) आदेश पारित करने के पूर्व राज्य सरकार समिति को न्यायसंगत (reasonable) सुअवसर देकर कारण बताओ सूचना देगी कि क्यों न समिति का अधिक्रमण कर लिया जाये तथा निर्धारित अवधि में सुनवाई पश्चात् युक्तियुक्त कारणों के आधार पर ऐसे आदेश पारित करेगी.

(2) जब उपनियम (1) अनुसार आदेश पर समिति का अधिक्रमण किया गया है तो :-

(क) अधिक्रमण अवधि में सभी सदस्य (अध्यक्ष सहित) कार्यालय रिक्त (vacate) करेंगे.

(ख) अधिक्रमण अवधि में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा समिति के अधिकारों एवं कार्यों का नियमानुसार संपादन उस अवधि तक करेगा जैसा आदेश में निर्दिष्ट हो.

(ग) अधिक्रमण अवधि समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार सदस्यों का नामांकन कर (अधि. की धारा 17 एवं 18 तथा इस नियम की धारा 4 एवं 5 के अनुसार) समिति का, पुनर्गठन करेगी.

(3) ऐसे अधिक्रमण आदेश के जारी होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार अधिक्रमण के कारणो सहित विधान सभा पटल पर रखेगी.

नियम में संशोधन एवं विस्तार एक्ट की धारा 41.

35. (1) यदि राज्य शासन को यह विश्वास हो जाये कि इस नियम में संशोधन या विस्तार करना आवश्यक हो तो वह राजपत्र में सूचना प्रकाशन पश्चात् ऐसा कर सकेगी.

(2) ऐसे संशोधन या विस्तार से कमेटी के सदस्यों को अवगत कराया जावेगा.

शिकायत की सुनवाई एक्ट की धारा 42.

36. यदि किसी हज यात्री द्वारा राज्य हज कमेटी के कार्यों से व्यथित हो तकलीफ या पीड़ा पहुंची हो तो वह हज कमेटी को शिकायत कर सकेगा तथा हज कमटी उसे निकारकण कर सकेगी. यदि आवश्यक समझे तो शिकायतकर्त्ता को सुनेगी.

कठिनाईयों को दूर करने की शक्तियां एक्ट की धारा 50.

37. यदि इस नियम के पालन कराने में कोई परेशानी या कठिनाई पेश आती हो तो अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत तथा बिना असंगत हुये राज्य शासन इन कठिनाईयों को दूर/निराकरण कर सकेगी.

38. राज्य हज समिति नियमानुसार अपने कार्यों को लाभ कमाने के अभिप्राय से नहीं करेगी.

39. समिति के कोई सदस्य का पद रिक्त होने से समिति द्वारा किये गये कार्यों को अवैध नहीं माना जावेगा.

एक्ट की धारा 39.

40. हज अधिनियम, नियम या इसके अधीन बनाये गये उप नियम के तहत समिति के अधिकारी या कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति जिन्हें समिति के कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया हो वे भारतीय दण्ड संहिता में बताये अनुसार लोक सेवक माने जावेंगे.

एक्ट की धारा 40.

41. इस अधिनियम (एक्ट) नियम (रूल्स) के अधीन अच्छा करने की नियत से किये गये कार्यों के विरुद्ध कोई मुकदमा, वैधानिक कार्यवाही, दावा या नालिश अध्यक्ष या सदस्यों पर नहीं की जा सकेगी. यदि ऐसा करना आवश्यक समझे तो राज्य शासन तत्संबंधी मंजूरी दे सकेगी.

एक्ट की धारा 49.

42. इस अधिनियम (एक्ट), नियम (रूल्स) के अधीन अच्छा करने की नियत से किये गये कार्यों के लिये राज्य शासन या राज्य हज समिति के किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई मुकदमा, वैधानिक कार्यवाही, दावा, नालिश नहीं किया जा सकेगा.

एक्ट की धारा 51.

43. केन्द्रीय सरकार हज अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में प्रदत्त अधिकारों के तहत कोई लिखित निर्देश राज्य सरकार या राज्य हज समिति को देती है तो राज्य सरकार और राज्य हज समिति ऐसे निर्देशों को मानने या पालन करने हेतु बाध्य रहेगी.

44. हज अधिनियम (एक्ट) 2002 के तहत जो नियम बनाये जायेंगे उसे अतिशीघ्र विधान सभा पटल पर रखा जायेगा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

-: अधिसूचना :-

25/03/2015

नया रायपुर, दिनांक—

क्रमांक/एफ 19-02/2012/25-2 : राज्य शासन, एतद्द्वारा हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 17 सहपठित धारा 18 एवं छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति नियम 2002 के नियम 4 सहपठित नियम 5 के व्दारा प्रदत्त शक्तियों के अध्याधीन छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का निम्नानुसार गठन करता है :—

क.	नाम	पद
1.	श्रीमती मोहिसिना किदवई राज्य सभा सदस्य 80 लोधी एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
2.	श्रीमती हमीदा नाजो सिद्दीकी, पार्षद वार्ड कमांक 23 कवर्धा	सदस्य
3.	श्री इम्तियाज अंसारी, पार्षद, जशपुरनगर	सदस्य
4.	श्री बब्बू भाई, पार्षद वार्ड कमांक-30 भिलाई जिला दुर्ग	सदस्य
5.	श्री मौलाना मुजफ्फर हुसैन, संजय नगर रायपुर	सदस्य
6.	श्री हफीज कारी मौलाना रिफत अली, राजातालाब रायपुर	सदस्य
7.	श्री मौलाना जहीरूल हसन, शिया धर्मविद्धान, मोमिन पारा रायपुर	सदस्य
8.	श्री मोहम्मद सलीम, भाटापारा छ.ग.मुस्लिम समाज उपाध्यक्ष रजिस्टर्ड	सदस्य
9.	श्री शैफूद्दीन बबलू, अनवर रिजुविया तालिम कमेटी अध्यक्ष बिलासपुर	सदस्य
10	श्रीमती ताहीरा जी, अल्पसंख्यक विकास समिति अध्यक्ष, राजनांदगांव	सदस्य
11.	श्री शेख सिद्दक, जिला अध्यक्ष छ.ग.मुस्लिम समाज द.बस्तर, ना.स.दरगाह कमेटी, जगदलपुर	सदस्य
12.	अध्यक्ष, राज्य बक्फ बोर्ड	पदेन सदस्य
13.	सचिव, राज्य हज समिति, रायपुर	पदेन सदस्य

2. हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 18 (1) (i) एव (b) के अध्याधीन कमशः राज्य के मुस्लिम संसद एवं मुस्लिम विधान सभा सदस्यों को नामांकित किया जाना प्रस्तावित है तथा धारा 22 (2) के अध्याधीन समिति के पदमुक्त सदस्यों को दो बार से अधिक नामांकित नहीं किये जाने का प्रावधान है, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में उपर्युक्त नामांकित सदस्य कमांक-1 के अतिरिक्त यथानुसार अन्य मुस्लिम संसद सदस्य नहीं होने के कारण सदस्य कमांक-1 का

कार्यकाल दिनांक 14 मार्च 2015 को राज्य हज समिति का तृतीय कार्यकाल पूर्ण करने के बावजूद अन्य विकल्प नहीं होने के कारण नामांकित किया जाता है।

3. समिति के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 03 वर्ष होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अमृता बेक)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ0जा0तथा अनु0जा0वि0विभाग

पृ0क्रमांक / एफ 19–02 / 2012 / 25-2, **नया रायपुर, दिनांक** 15/03/2015
प्रतिलिपि :–

(1) सचिव, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय नई दिल्ली ।
(2) सचिव, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली ।
(3) प्रमुख सचिव, राज्यपाल राजभवन छत्तीसगढ़ रायपुर ।
(4) प्रमुख सचिव, विधानसभा सचिवालय रायपुर ।
(5) सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय नया रायपुर ।
(6) निज सचिव, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग नया रायपुर ।
(7) मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय नया रायपुर ।
(8) सचिव, सेंट्रल हज कमेटी 7 ए हाजी हाउस एमआरए मार्ग मुंबई (महाराष्ट्र)।
(9) आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर ।
(10) आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन नया रायपुर।
(11) संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर ।
(12) उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव की ओर इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु ।
(13) सचिव / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी, रायपुर ।
(14) संबंधित श्री ——————————————————————
(15) आर्डर फोल्डर।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ0जा0तथा अनु0जा0वि0विभाग

556

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

–:: अधिसूचना ::–

नया रायपुर, दिनांक–

क्रमांक/एफ 19–02/2012/25.2:: हज कमेटी अधिनियम, 2002 की धारा 21 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानानुसार राज्य हज कमेटी के नामांकित सदस्यों द्वारा दिनांक 30 अप्रेल, 2015 को राज्य हज कमेटी की प्रथम सभा में सर्वसम्मिति से हज कमेटी के अध्यक्ष पद पर श्री सैफुद्दीन बबलु का चुनाव किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन, एतद् द्वारा, हज कमेटी अधिनियम, 2002 की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री सैफुद्दीन बबलु को छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी का अध्यक्ष घोषित करता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस.एल.रात्रे)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ0जा0तथा अनु0जा0वि0विभाग

पृ0क्रमांक/एफ 19–02/2012/25–2 नया रायपुर, दिनांक 30 MAY 2015

प्रतिलिपि :–

(1) सचिव, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली ।
(2) मान. मुख्यमंत्री के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
(3) विशेष सहायक मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
(4) मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
(5) सेंट्रल हज कमेटी, 7 ए, हाजी हाउस, एम.आर.ए.मार्ग, मुंबई ।
(6) आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन नया रायपुर ।
(7) कार्यपालन अधिकारी/सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य, हज कमेटी, रायपुर ।
(8) उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।
(9) संबंधित श्री सैफुद्दीन बबलु, मान.सदस्य छ.ग.राज्य हज कमेटी द्वारा कार्यपालन अधिकारी/सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य, हज कमेटी, रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(10) आर्डर फोल्डर ।

संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
आ0जा0तथा अनु0जा0वि0विभाग

aadesh.rkj99

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
–:संशोधित अधिसूचना :–

नया रायपुर, दिनांक 24 OCT 2016

क्रमांक/एफ–19–02/2012/25–2 :: विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25–03–2015 द्वारा हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 17 सहपठित धारा 18 एवं छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति नियम 2002 के नियम 4 सहपठित नियम 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अध्याधीन छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का गठन किया गया है।

2– राज्य शासन एतद् द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25–03–2015 में मनोनीत माननीय सदस्यों के नामों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:–

अधिसूचना में दर्शित कमांक	अधिसूचना में अंकित नाम	संशोधित नाम
1.	2.	3.
02	श्रीमती हमीदा नाजो सिद्दीकी, पार्षद वार्ड कमांक 23 कवर्धा	श्रीमती नाजो सिद्दीकी, पार्षद वार्ड कमांक 23 कवर्धा
04	श्री बब्बू भाई, पार्षद, वार्ड कमांक 30 भिलाई जिला–दुर्ग	श्री अकबर अली उपनाम बब्बू भाई पार्षद, वार्ड कमांक 30 भिलाई जिला–दुर्ग
10	श्रीमती ताहीरा जी, अल्पसंख्यक विकास समिति अध्यक्ष, राजनांदगांव	श्रीमती ताहिरा बानो अली अल्पसंख्यक विकास समिति अध्यक्ष, राजनांदगांव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी.कुंजाम) 24/10/16
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथाअनु.जा.वि.वि.

पृ.क्रमांक/एफ–19–02/2012/25–2 नया रायपुर, दिनांक 24 OCT 2016

प्रतिलिपि:–

1– सचिव, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, नई–दिल्ली ।
2– सचिव, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई–दिल्ली।
3– प्रमुख सचिव, राज्यपाल राजभवन छत्तीसगढ़ रायपुर।
4– प्रमुख सचिव, विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
5– सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
6– निज सचिव, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, नया रायपुर।

//2//

7— संयुक्त सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
8— सचिव, सेंट्रल हज कमेटी 7-ए हाजी हाउस एमआरए मार्ग मुंबई (महाराष्ट्र)।
9— आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
10— आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
11— संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर।
12— उप संचालक, क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर कृपया राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
12— सचिव/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी, रायपुर ।
13— संबंधित श्री ....।
14— आर्डर फोल्डर।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथाअनु.जा.वि.वि.

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

-:: अधिसूचना ::-

नया रायपुर, दिनांक- 18 APR 2018

क्रमांक/एफ 19-02/2012/25-2 :- राज्य शासन, एतद्द्वारा हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 17 सहपठित धारा 18 एवं छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति नियम 2002 के नियम 4 सहपठित नियम 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अध्याधीन छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का निम्नानुसार गठन करता है :-

क्र.	हज समिति की धारा	मनोनित सदस्य
01.	नियम की धारा 05 की उपधारा (02)- 01 03 सदस्य (मुस्लिम सदस्यों में से) :- (क) राज्य के लोक सभा या राज्य सभा का सदस्य (ख) राज्य विधान सभा का सदस्य (ग) राज्य विधान परिषद का सदस्य	राज्य में कोई मुस्लिम लोकसभा, राज्यसभा एवं विधायक सदस्य ना होने के फलस्वरूप - निरंक
02.	नियम की धारा 05 की उपधारा (02)- 02 03 मुस्लिम सदस्यों में से :- राज्य के स्थानीय स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका) के मुस्लिम सदस्यों में से	(क) श्रीमती नाजो सिद्दीकी, पार्षद वार्ड क्र. 23 कवर्धा (ख) श्री इम्तीयाज अंसारी, पार्षद जशपुर नगर (ग) श्री सईद रजा चौहान, पार्षद आरंग, जिला-रायपुर, छ.ग.
03.	नियम की धारा 05 की उपधारा (02)-03 03 सदस्य (मुस्लिम सदस्यों से) :- जो मुस्लिम धर्मज्ञान व मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ हो, यइन सदस्यों में से एक शिया मुस्लिम समुदाय से आवश्यक है।	(क) मौलाना एहतेशाम सिद्दीकी, गणेश नगर, बिलासपुर (ख) मौलाना जहीरूद्दीन, रिजवी,रहबर संतोषी नगर, रायपुर, छ.ग. (ग) मौलाना असगर मेहन्दी, हैदरी मस्जिद मोमिनपारा, रायपुर, छ.ग. (शिया सदस्य)
04.	नियम की धारा 05 की उपधारा (02)- 04 05 मुस्लिम सदस्य :- ऐसे मुस्लिम स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधियों से जो सार्वजनिक प्रशासकीय, वित्तीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत् हो	(क) श्री मोहम्मद सलीम खान, भाटापारा, छ.ग. मुस्लिम समाज उपाध्यक्ष, रजिस्टर्ड (ख) श्री सैय्यद सैफुद्दीन, सरपरस्त एवं मदरसा सदस्य रजविया अनवारूल उलूम बिलासपुर एवं सदस्य सुन्नी हनफी मस्जिद कमेटी गणेश नगर, बिलासपुर (ग) श्री कमरूज्जमा फरीदी, सदस्य दरगाह कमेटी कुतुब-ए-भिलाई हजरत सैय्यद बाबा भिलाई-03 (घ) श्री शेख हाशिम, अध्यक्ष, भनपुरी मुस्लिम समाज भनपुरी, करनडोला बस्तर विकासखंड, जिला-बस्तर
05.	अध्यक्ष राज्य वक्फ बोर्ड,	पदेन सदस्य
06.	कार्यपालन अधिकारी/सचिव, राज्य हज कमेटी	पदेन सदस्य

.....2

letter 3

Scanned by CamScanner

654

2. समिति के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 03 वर्ष होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम. एम. मिंज)
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

पृ0क्रमांक/एफ 19-02/2012/25.2, नया रायपुर, दिनांक 18 APR 2018

प्रतिलिपि :-

(1) सचिव, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली ।
(2) सचिव, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली ।
(3) प्रमुख सचिव, राज्यपाल राजभवन छत्तीसगढ़, रायपुर ।
(4) प्रमुख सचिव, विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
(5) सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय, नया रायपुर ।
(6) निज सचिव, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, नया रायपुर ।
(7) मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय नया रायपुर ।
(8) सचिव, सेंट्रल हज कमेटी 7 ए हाजी हाउस एमआरए मार्ग मुंबई (महाराष्ट्र)।
(9) आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर ।
(10) आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
(11) संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर ।
(12) संचालक, शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर इस अधिसूचना को आगामी राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
(13) सचिव/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी, रायपुर ।
(14) सचिव/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य अल्पसंख्यक आयोग/छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड/सर्वे आयुक्त/अनु. जाति आयोग/जनजाति आयोग/पिछड़ा वर्ग आयोग एवं अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम, रायपुर/नया रायपुर।
(15) संबंधित सदस्य, श्री ---------------------------------
(16) आर्डर फोल्डर।

संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

Scanned by CamScanner

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1988 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) सेवा भर्ती नियम 2005 तथा छ. ग. तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) सेवा भर्ती नियम 2005 के नियम 19 (3) के अनुसार यह नियुक्तियां दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर होगी.

(च) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता प्रमाण-पत्र चिकित्सा मण्डल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी.

(छ) नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडरटेकिंग कार्यग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(ज) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को एक माह के भीतर उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि. परिसर, रायपुर से जाति प्रमाण-पत्र सत्यापित कर उपलब्ध कराना होगा. अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण-पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत् सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(ञ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. श्री मुकेश कुमार सिंह का चयन विभागाध्यक्ष (मैकेनिकल) एवं रीडर (मैकेनिकल) पद हेतु हुआ है, अत: किसी एक पद पर कार्यभार ग्रहण किए जाने पर दूसरे पद का नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा.

4. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, विशेष सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2009

क्रमांक/एफ-33/2006/25-2/आजावि.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय अधिसूचना क्रमांक/1799/33/25-2/आजाकवि/2006 दिनांक 6 मार्च, 2006 को अतिष्ठित करते हुए इज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 17 सहपठित धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते

हुए छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का गठन कर निम्नानुसार सदस्यों को नामांकित करता है :—

क्र.	नाम	पद
1.	मान. श्रीमती मोहसिना किदवई राज्य सभा सदस्य, 80 लोधी एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
2.	मान. मो. अकबर, विधायक, पंडरिया	सदस्य
3.	मान. श्री बदरूद्दीन कुरैशी, विधायक, भिलाई नगर	सदस्य
4.	श्री हामिद सिद्दीकी, पार्षद, महावीर स्वामी वार्ड, कवर्धा	सदस्य
5.	मो. अकरम खान रजवी, गांधी चौक, गोबरा, नवापारा, राजिम	सदस्य
6.	मो. फिरोज खान, मोमिनपारा, अंबिकापुर, सरगुजा	सदस्य
7.	कारी व हाफिज मो. जलालुद्दीन रजवी, 93-सी, रेल्वे कालोनी, दल्लीराजहरा	सदस्य
8.	कारी श्री बशीरुल कादरी रजवी मोहतमिम, जगदलपुर	सदस्य
9.	मो. मूशा बाकर अली, मोमिनपारा, रायपुर	सदस्य
10.	डॉ. सलीम राज, ई-485, समता कालोनी, रायपुर	सदस्य
11.	श्री शेख फकीरा, सचिव, दरगाह कमेटी तालापारा, बुखारी पेट्रोल पंप के पास, लिंक रोड, बिलासपुर	सदस्य
12.	मो. युनुस कुरैशी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज, के. के. रोड, रायपुर	सदस्य
13.	मो. जियाऊद्दीन, मेम्बर, मोती मस्जिद कमेटी, तुलसीपारा, वार्ड नं. 16, राजनांदगांव	सदस्य
14.	श्री हमीद अहमद शाह, सचिव, मस्जिद दरगाह कमेटी, एकता नगर, भिलाई-3	सदस्य
15.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड	पदेन सदस्य
16.	कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी	पदेन सदस्य

2. समिति के पदेन सदस्यों को छोड़ कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा.

3. यह अधिसूचना दिनांक 15 मार्च, 2009 से प्रभावशील मानी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2.—वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम, 1972 का सं. 53) की धारा 38-V की उपधारा (1) सहपठित उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राष्ट्रीय टायगर संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, की अनुशंसा पर राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को "अचानकमार टायगर रिजर्व" अधिसूचित करती है :—

अनुसूची

जिला	-	बिलासपुर
मंडल	-	बिलासपुर एवं मरवाही वनमंडल
तहसील	-	लोरमी, कोटा एवं गौरेला
अभ्यारण्य/परिक्षेत्र	-	अचानकमार अभ्यारण्य, बिलासपुर वनमंडल की खुडिया एवं लोरमी परिक्षेत्र तथा मरवाही वनमंडल की गौरेला, लमनी एवं बेलगहना परिक्षेत्र.

2. टायगर रिजर्व का नाम - अचानकमार टायगर रिजर्व